फाईल सं0.23-10099(099)/10/2022

संख्या-45/2022/आई/177699/2022/001-1613108

प्रेषक,

राजेश कुमार अग्रवाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ : दिनांक 14 जून, 2022

विषय:-वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य योजना (सामान्य) के अंतर्गत जनपद शाहजहॉपुर में तहसील जलालाबाद में जलालाबाद-शमशाबाद-मोहम्मदाबाद-सौरिख-विधुना मार्ग (राज्य मार्ग सं0-163) पर कोलाघाट के निकट रामगंगा नदी एवं बहगुल नदी पर निर्मित सेतु के क्षतिग्रस्त पुल की जॉच कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या-121/प्रा0आगणन-शाहजहॉपुर(कोलाघाट) /सेतु-6/21-22 दिनांक 03.02.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद शाहजहॉपुर में तहसील जलालाबाद में जलालाबाद-शमशाबाद-मोहम्मदाबाद-सौरिख-विधुना मार्ग (राज्य मार्ग सं0-163) पर कोलाघाट के निकट रामगंगा नदी एवं बहगुल नदी पर निर्मित सेतु के क्षतिग्रस्त पुल की जॉच कार्य हेतु लागत रू0 154.43 लाख (रूपये एक करोड़ चौवन लाख तिरालिस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये कुल धनराशि रू0 54.43 लाख (रूपये चौवन लाख तिरालिस हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्यपाल निम्न विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रम सं0	**जनपद**	**कार्य का नाम**	**लागत (लाख रू0 में)**	**पी0एफ0ए0डी0 दिनांक**	**वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रस्तवित आवंटन**	**कार्यदायी संस्था**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	शाहजहॉपुर	शाहजहॉपुर में तहसील जलालाबाद में जलालाबाद-शमशाबाद-मोहम्मदाबाद-सौरिख-विधुना मार्ग (राज्य मार्ग सं0-163) पर कोलाघाट के निकट रामगंगा नदी एवं बहगुल नदी पर निर्मित सेतु के क्षतिग्रस्त पुल की जॉच कार्य हेतु	**130.87**	03.02.22	**54.43**	**सेतु निगम**
		जी0ए0टी0 18 प्रतिशत (लागत रू0 130.87 लाख पर)	**23.56**			
		योग -	**154.43**		**54.43**	**------**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1-प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

2.-कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ कार्यदायी संस्था की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा ।

4- प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

5- अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/ आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए0-2-23/ दस-2011-17(4)/75 दि0 25.01.2011 के अनुसार लोक निर्माण प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभागाध्यक्ष द्वारा जमा की जायेगी ।

6- लेबर सेस की धनराशि इस शर्त केअधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

7- विभागाध्यक्ष द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी। प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा ।

8-. नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयररेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा।

9- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति के पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

10- विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

11. भारत सरकार की कोविड-19 हेतु जारी गाइड लाइन्स का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा ।

12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/ 2022 दिनांक 30.12.2021 में वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा । वित्त नियंत्रक द्वारा कार्यदायी संस्था को 02-02 माह की आवश्कतानुसार धनराशि का कोषागार से आहरण किया जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत धनराशि का उपयोग करने के उपरांत अगले दो माह के लिये उन्हें आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 54,43,000 (रुपये चौवन लाख तैंतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054808000700 नई तकनीकी का अंगीकरण एवं अध्ययन, नवीन तकनीकी की परियोजना का गठन/पूर्व निर्मित परियोजनाओं का अध्ययन एवं मूल्यांकन इत्यादि हेतु व्यवस्था **मानक मद** 16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-8-10-X-2022-23-दिनांक:9-6-2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

राजेश कुमार अग्रवाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-45 / 2022 / आई / 177699 / 2022 / 001-1613108 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- मण्डलायुक्त, बरेली मण्डल / जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर ।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री लोक निर्माण विभाग ।
4 प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 ।
5- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
7- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1 / 2 ।
8- बजट आवंटन अधिकारी, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन / गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

राजेश कुमार अग्रवाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।